

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देने वाले एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹35,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2011 धारा–452,354,323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)11,3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 ग्राम बरहरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को **04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹35,000 के अर्थदंड** से दिण्डत किया गया।



विशेष लोक अभियोजक श्री विजय सिंह



विवेचक-सीओ सरीला मनीष चन्द्र सोनकर



पैरोकार- थाना जलालपुर हे0का0 मनोज कुमार